न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

आर॰ एम॰ पी॰ वाद सं0–42/2011–12

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़–बनाम–लक्ष्मण दास गंगवानी

आदेश

...ा की संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग... कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01	02	03
	यह वाद विज्ञ उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय से सुनवाई एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ है। यह वाद मौजा खपराजोला, जमाबंदी नं0–7/31 के दाग सं0–177, 178 के अंतर्गत रकवा 02बी0–17क0–11धूर भूमि जो लक्ष्मण दास गंगवानी, पाकुड़ के नाम से कायम अवैध जमाबंदी के विरूद्व निम्न न्यायालय के स्था0रा0वि0 वाद सं0–63/98–99 द्वारा प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी को वाद में कोई अभिरूचि नहीं वाद में लगातार विपक्षी की अनुपस्थिति है। वर्ष 2002 से उपायुक्त के न्यायालय से चल रही है एवं लगभग बीस वर्ष तक विपक्षी की प्रायः लगातार अनुपस्थिति है। अभिलेख में संलग्न नोटिस दिनाकं–10.05.19 में अंकित है कि श्री लक्ष्मण गंगवानी की मृत्यु हो गई है। अभिलेख में माइनिंग लीज दिनाकं–05.09.1978 संलग्न है किन्तु वह वाद में निहित भूमि से भिन्न है। माइनिंग लीज खपराजोला के 92 के प्लॉट सं0–556, 557, 558, 559 रकवा 3.75 एकड़ से संबंधित है जिसका लीज अवधि दिनांक–19.06.1978–18.6.1983 तक की हैं। इस तरह से स्पष्ट है कि उक्त जमाबंदी पूर्ण रूप से अवैध है जिसके पक्ष में विपक्षी द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः मौजा खपराजोला जमाबंदी नं0–7/31 के दाग 177,178 रकवा–2बी0–17क0–11धूर भूमि की जमाबंदी विपक्षी श्री लक्ष्मण दास गंगवानी के नाम को विलोपन का आदेश दिया जाता हैं। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पाकुड़ को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित संशोधित। (हस्ताक्षर) 2.8.2023 अपर समाहर्त्ता, पाकुड़। (हस्ताक्षर) 2.8.2023 अपर समाहर्त्ता, पाकुड़।	

Digitally signed by JEMES SURIN
Date: 2025.03.07 15:54:56 +05:30
Location: 192.168.0.116

Scanned with CamScanner